L. A. BILL No. XCII OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९२ सन् २०२५।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, १ सितम्बर २०२५ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९५० का २९।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ७।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

(२) (क) धारा ५ छोड़कर, यह १ सितम्बर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) धारा ५ ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९५० का २९ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिस इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९५० का २९।

(१) खण्ड (९) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"**(९क)** "निरन्तर न्यासी" का तात्पर्य, न्यास के लिखत के अनुसार या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आजीवन या स्थायी न्यासी के रूप में नियुक्त न्यासी से है ;" ;

(२) खण्ड (१७) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"**(१७क)** "सावधि न्यासी" का तात्पर्य, न्यास के लिखत के अनुसार या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए नियुक्त किए गए न्यासी से है ;" ;

(३) खण्ड (१८) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(१८) "न्यासी" का तात्पर्य, जिसमें या तो, अकेले या अन्य व्यक्तियों से सहयोजन में, न्यास सम्पत्ति निहित की है ऐसा व्यक्ति और उसमें, न्यासी समयावधि और निरन्तर न्यासी शामिल है ;"।

सन् १९५० का २९ की धारा १८ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १८ की, उप-धारा ६ में, "अस्तित्व में है" शब्दों के पश्चात् "और न्यास की स्थावर सम्पत्ति पर स्वामित्व या हित दर्शानेवाले दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि" शब्द जोडे जायेंगे।

सन् १९५० का २९ में नई धारा ३०क का निवेशन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सावधि न्यासी या निरंतर न्यासी की नियुक्ति।

"**३०क.** (१) जहाँ एक सावधि न्यासी की नियुक्ति का विनिर्दिष्ट अवधि अवसित होता है तब या तो, न्यास के लिखत में या न्यासियों द्वारा लिए गए किसी विनिर्णय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सावधि न्यासी जब तक वह पुनर्नियुक्त नहीं होता है तब तक, न्यासी कें रूप में कार्यों का अनुपालन करने का कर्तव्यों का निर्वहन करने से परिविरत होगा :

परंतु, यदि न्यासी की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कुछ भी उल्लिखित नहीं किया है या स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया है तब न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई विनिर्णय जो न्यासियों द्वारा लिए जाने के बावजूद जारी रहनेवाले या उत्तरजीवी न्यासियों के लिए सर्वसम्मति से एक न्यासी को एक समय में पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा।

(२) यदि, न्यास की लिखत निरंतर न्यासी के रूप में न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध अंतर्विष्ट नहीं हैं तब, न्यास के उपयोग में या कोई निर्णय जो न्यासियों द्वारा

लिए जाने के बावजूद प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, न्यास में किसी समय पर निरंतर न्यासियों की संख्या कुल न्यासियों की संख्या से एक चौथाई से अधिक नहीं होगी :

परंतु, विद्यमान या उत्तरजीवी न्यासियों, जिसका निरंतर न्यासी का अवधि अवसित हुआ है उस सावधि न्यासी की किन्ही निम्न कारणों में से उद्‌भूत निरंतर न्यासी की रिक्ति केवल निरंतर न्यासी के रूप में सर्वसम्मति से नियुक्ति की जा सकेगी :—

(क) मृत्यु ;

(ख) दिवालियापन ;

(ग) अत्याधिक वृद्धावस्था, बिमारी चाहे शारीरिक या मानसिक कारणों द्वारा अपने पद के कार्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ या अयोग्य होने ;

(घ) विदेश में स्थायी निवास करने के उद्‌देश्य से भारत छोडने ;

(ङ) नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि।

(३) न्यास की लिखत में या कोई विनिर्णय जिसे न्यासियों द्वार लिए गए ऐसे किसी विनिर्णय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सावधि न्यासियों या निरन्तर न्यासियों की हमेशा स्पष्ट रूप से न्यासियों की अधिकतम संख्या की सीमा के भीतर या न्यास के लिखत में अधिकथित आवश्यक निहितार्थ द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। तद्‌नुसार, निरंतर या उत्तरजीवी न्यासी या तो, सावधि न्यासी का अवधि अवसित होने पर या उप-धारा (२) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई घटना होने पर न्यास की लिखत में इसप्रकार अधिकथित न्यासियों की अधिकतम संख्या के अतिरिक्त किसी न्यासी या न्यासियों की नियुक्ति नहीं करेंगे।"।

५. मूल अधिनियम की धारा ५०क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५० का २९ में नई धारा ५०ख का निवेशन।

"**५०ख.** (१)(क) किसी लोक न्यास के लिये योजना बनाना या उपांतरण करना, या ; सिविल न्यायालय आदि के स्थान में धमार्थ आयुक्त का संदर्भ लेना।

(ख) किसी लोक न्यास के अध्यक्ष या सभापति या न्यासी या पदाधिकारी के रूप में कार्य करने या उनके कार्यों का निर्वहन करने, या ;

(ग) किसी लोक न्यास के किसी न्यासी या न्यासियों की नियुक्ति करने की,—

अधिकारिता, अधिकार या प्राधिकार होनेवाले किसी लोक न्यास को, चाहे इस अधिनियम की प्रयुक्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात्, न्यास की लिखत योजना, दिए गए या पारित किए गए आदेश या डिक्री में सिविल न्यायालय या सिविल न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश का कोई संदर्भ धमार्थ आयुक्त के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जायेगा और धमार्थ आयुक्त तद्‌नुसार अधिकारिता, अधिकारों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।"।

६. मूल अधिनियम की धारा ६६क में, "सामान्य कारावास से, जिसे छह महीनों तक बढ़ाया जा सके या जुर्माने से, जिसे पच्चीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से, दण्डित किया जायेगा" शब्दों के स्थान में, "या तो विवरणित कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सके या जुर्माने से, जिसे पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९५० का २९ की धारा ६६क में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ६६ख में, "तीन महीनों से या जुर्माने से, जिसे पच्चीस हजाह रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्दों के स्थान में, " एक वर्ष के कारावास से या जुर्माने से जिसे पचास हजार रुपयों तक के बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९५० का २९ की धारा ६६ख में संशोधन।

सन् १९५० का २९ की धारा ७०क में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ७०ख की, उप-धारा (१) में,—

(१) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, इस उप-धारा के अधीन के आवेदन, निष्कर्षों को अभिलिखित करने, या यथास्थिति, आदेशों को पारित करने के दिनांक से एक सौ बीस दिनों के भीतर धमार्थ आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा :";

(२) विद्यमान परंतुक में, " परंतु" शब्द के स्थान में " परंतु यह और कि," शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५० का २९ की धारा ७५ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,—

(१) " अपील करने की अवधि" शब्दों के पश्चात्, " और धारा ७०क के अधीन आवेदन" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) " ऐसे अपील" शब्दों के पश्चात्, "और आवेदनों" शब्द जोड़े जायेंगे।

सन् १९५० का २९ की धारा ८२ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ८२ में "महानगर मजिस्ट्रेट या" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ७।

११. (१) महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ७ का निरसन और व्यावृत्ति।

उद्देश्यों और कारणोंका वक्तव्य

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) यह महाराष्ट्र राज्य में लोक, धार्मिक और पूर्त न्यासों के प्रशासन विनियमित करने तथा उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. यह ध्यान में आया है कि, न्यास के विभिन्न लिखतों में निरन्तर या स्थायी न्यासियों तथा सावधि न्यासी कि नियुक्ति और उनके समयावधि के बारे में स्पष्टता नहीं है जो, धमार्थ आयुक्त और न्यायालय के समक्ष बहुसंख्य मुकदमें का कारण बना है जिससे न्यासों के कार्यों, लाभार्थीयों और लोक कल्याण को प्रभावित करते हैं। जब सावधि न्यासीयों और निरंतर न्यासियों कि, नियुक्ति के बारे में न्यास लिखत में उसके लिए कोई विशेष उपबंध अंतर्विष्ट नहीं करती है, तब नियुक्ति के लिए नई धारा ३०क के निवेशन द्वारा अधिनियम में उपबंध करना इष्टकर समझा गया है। उक्त अधिनियम की धारा २(१८) में अंतर्विष्ट "न्यासी" की विद्यमान परिभाषा, नियुक्ति की उनकी अवधि पर आधारित अर्थात् उनमें सावधि न्यासियों और निरन्तर न्यासियों के प्रकार विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन से संशोधित करना प्रस्तावित है।

३. उक्त अधिनियम की धारा १८ यह "लोक न्यासों के रजिस्ट्रीकरण" पर केंद्रित है। धारा १८ की, उप-धारा (६) का प्रस्तावित संशोधन पर ऐसा प्रावधान करता है कि, न्यास के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किए जानेवाले आवेदन के साथ न्यास की स्थावर सम्पत्ति पर स्वामित्व या हित दर्शानेवाले दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ ही जोडी जाना जाहिए। इससे, न्यास का रजिस्ट्रीकरण करते समय किसीभी सम्पत्ति पर न्यास की सम्पत्ति के रूप में किए जानेवाले झूठे दावे को रोका जा सकेगा।

४. न्यास की किसी लिखत में या किसी योजना, बनाए गए या पारित किए गए आदेश या डिक्री में सिविल न्यायालय या सिविल न्यायाधीश या जिला न्यायालय, या जिला न्यायाधीश का संदर्भ दिया हो ऐसे मामलों में न्यायालय या धमार्थ आयुक्त की अधिकारिता का प्रश्न सुलझाने के लिए ऐसे मामलों में धर्मार्थ आयुक्त को अधिकारिता, अधिकार और प्राधिकार का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ऐसे संदर्भ का धमार्थ आयुक्त का संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जायेगा, यह उपबंध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में नवीन धारा ५०ख निवेशित करने का प्रस्तावित है।

५. उक्त अधिनियम की धारा ६६क धर्मार्थ आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना लोक न्यास की स्थावर सम्पत्ति दुसरों के नाम करने पर दण्ड का प्रावधान करती है और निर्धन और दुर्बल वर्ग के मरीजों के लिए धमार्थ अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने के संबंध में धारा ४१कक के अधीन निदेशनों का अनुपालन करने में असफल होने पर दण्ड का प्रावधान धारा ६६ख में किया है। उपर्युक्त संदर्भित उल्लंघनों के कई उदाहरण सरकार के ध्यान में आये है। इसलिए, इसके भयोपराधी प्रभाव के उद्देश्य से उक्त धाराओं के यथोचित संशोधन द्वारा विद्यमान शास्ति में बढोत्तरी करना प्रस्तावित किया गया है।

६. उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष की प्रक्रियाओं के संबंध में धर्मार्थ आयुक्त के पूनरीक्षित अधिकारों के लिए उपबंध धारा ७०क में करती है। तथापि, उक्त धारा ७०क के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की है। इसलिए, उक्त धारा के अधीन का आवेदन दिर्घावधि अंतराल के पश्चात् भी दाखिल किये जाते हैं। अतः, ऐसा आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा एक सौ बीस दिन तय करने के उपबंध करने के लिए उक्त धारा ७०क में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

७. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ७) १ सितम्बर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था ।

८. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित ११ नवंबर, २०२५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तृत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १(२)(ख) इस खण्ड के अधीन **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार जिसे नियत करे ऐसे दिनांक पर अधिनियम की धारा ५ प्रवर्तन में लाने के अधिकार राज्य सरकार को प्रदान करती है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोलिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १३ नवंबर, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.